महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम अन्तर्गत बीकानेर जिले में संचालित कार्यक्रम एवं योजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त विवरणः–

1. स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिंकेज–

राज्य मे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम वर्ष 1997–98 से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 20 महिलाऐं स्वयं अपने निर्णय लेकर समूह बनाती है तथा अपनी छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से, सहयोग, स्वावलम्बन की प्रवृतियाँ विकसित करती है एवं स्वरोजगार की ओर अग्रसर होती है।

2. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओ को आयजनक गतिविधि प्रशिक्षण–

महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन उपरांत उन्हें बैंक लिंकेज द्वारा स्वरोजगार में संलग्न कर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार / स्वरोजगार से जोडा जा रहा है।

3. अमृता हाट–

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को लोकप्रिय तथा सर्वव्यापी बनाने के लिए वर्ष 2004–05 से विभाग द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 से सम्भाग स्तर पर भी अमृता हाट का अयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों की सफलता को ध्यान में रखते हुए उक्त हाटों के अतिरिक्त अलग – अलग जिलों में जिला स्तरीय अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है।

4. स्वावलम्बन योजना–

वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस हेतु महिलाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से विविध ट्रेड में कौशल विकास के प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं।

5. प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना–

वर्ष 2009–10 में स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रियदर्शिनी योजना प्रारंभ की गई । योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में 10 श्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों का चिह्नीकरण कर उन्हें विभाग द्वारा चयनित गैर सरकारी संगठनों (NGO's)के माध्यम से आमुखीकरण एवं प्रबन्धकीय

क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिलाये जाते है इसके पश्चात् उन्हे स्थानीय आवश्यकता एवं विपणन सम्भावना अनुसार आयसृजक प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार से जोड़ा जाता है।

6. महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकान आवंटन पश्चात् एक मुश्त 75,000/– अनुदान राशि

महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार से जोडने हेतु वर्ष 2009–10 में प्रत्येक जिले में 10 स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दूकानों का आवंटन करने की योजना प्रारंभ की गयी। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को दुकान आवंटन होने पर योजनान्तर्गत दुकान प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक पूंजी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रति SHG रू 75000/– का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

7. महिलाओं को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना –

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से सभी वर्गों की महिलाओं को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दिये जा रहे है। इस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं को दो प्रकार के कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत दिये जा रहे है। प्रथम 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी' (RS-CIT) एवं द्वितीय 'डिजिटल सहेली'।

8. सहरिया जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज –

वर्ष 2011–12 के दौरान सहरिया महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विशेष पैकेज के अन्तर्गत बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों (मुख्यतः किशनगंज एवं शाहबाद परियोजना) के महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं।

9. <u>SHG ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना</u>

वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ इस योजना में योग्य पाये जाने वाले 30,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 01 जुलाई 2010 से उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ 01 जुलाई, 2010 के बाद ऋण लेने वाले समूहों को 50000 रू की राशि तक ही देय होगा, अर्थात यदि स्वयं सहायता समूह 50000 रू से अधिक का ऋण लेता है तो भी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा, परंतु यह लाभ 50000 रू की ऋण राशि तक ही देय होगा। योजना का लाभ समूह को अपने कुल जीवन काल में एक बार ही प्राप्त होगा। राज्य स्तर पर विभिन्न वाणिज्यिक व ग्रामीण बैंकों हेतु SBBJ को तथा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंकों हेतु राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक को राज्य नोडल बैंक निर्धारित किया गया है।